7-12-16 ~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर~~ अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-1-17 को पेश हो।

रीडर

25-1-17 ~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। ~~श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-3-17 को पेश हो।

रीडर

8-3-17 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। तलबी कागज की गई। वकील उभयपक्ष निम्नानुसार सूची गवाहान पेश करे साक्ष्य तलब करना चाहे तो तलबाना पेश करे। साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि० 31-5-17 को पेश हो।

30-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प टोकसी पर पेश हुई। प्रार्थीगण वादीगण कल्याण व हरी उप० हैं। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवा कर वादीगण को उनकी भूमि के सीमा चिन्हों से अवगत करा दिया जावे। सीमाज्ञान हेतु तहसीलदारजी के नेतृत्व में हलका पटवारी व गिरदावर की टीम बनाकर सीमाज्ञान करवा दिया जावे। वादीगण की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो नया दावा पेश करने की छूट दी जाकर दावा वादीगण इसी अनुसार निर्णित कर दिया जावे।

प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादीगण की भूमि का

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सीमाज्ञान कराने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर की अध्यक्षता में I.L.R. व पटवारी हल्का की एक टीम बनाकर वादीगण को सीमाचिन्हों से अवगत कराने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। यदि सीमाज्ञान मे वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे मे पाई जाती है तो उसे वापस लेने हेतु नियमानुसार नवीन दावा लाने हेतु वादीगण स्वतंत्र रहेंगे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालना हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर ~~[illegible]~~ नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (सतीशकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर
अहक
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

सीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

कल्याण पुत्र कजोडया मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
लाल पुत्र कजोडया मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

सिंह पुत्र कल्याण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
सिंह पुत्र कल्याण मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
लाल पुत्र कल्याण मीना मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
सिंह पुत्र कल्याण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
वती पुत्री कल्याण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
री पुत्री कल्याण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
न्दा पुत्री कल्याण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
गता पुत्री कल्याण, मीना मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
सरकार जरिए लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वा नं. – 138/2006

वादी की ओर से वादी कल्याण, हरीलाल की व प्रतिवादी की ओर से कोई नही की उपस्थिति स वाद मे आज तारीख 30.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार नायव तहसीलदार गंगापुर सिटी आदेशित किया जाता है कि उनकी अध्यक्षता मे एक टीम का गठन करे जिसमे गिरदावर व पटवारी । उक्त टीम वादीगण की भूमि की मौके पर नाप कर वादीगण को भूमि का सीमाज्ञान करा कर चिन्हो से अवगत करा देवे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। यदि सीमाज्ञान मे गण की भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे मे पाई जाती है तो उसे वापस लेने हेतु नियमानुसार वादीगण । वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

आज तारीख 30.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
पत्र के लिए स्टाम्प जी पत्र के लिए स्टाम्प र्जी के लिए स्टाम्प ___रूपये पर प्लीडर की फीस क्षियो के लिए निर्वाह व्यय श्नर की फीस शिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- टोकसी

राजीनामा प्रपत्र

...मान पीठासीन अधिकारी महोदय,   दिनांक 30/5/18

...-टोकसी

कल्याण वगैरह ......बनाम ...... रामसिंह वगैरह

...संख्या :- 138/2006 अन्तर्गत धारा ...... 88, 180, 207 रा.का.अधि.

...प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री ...... कल्याण, छोटेलाल

...कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ...उनके बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। ...आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

[illegible handwritten terms]

...निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

...कल्याण

......   प्रतिवादी पक्ष 1. ......

......   2. ......

......   3. ......

......   4. ......

सरपंच
ग्राम पंचायत टोकसी
पं.स. गंगापुर सिटी (स.मा.)

...हस्ताक्षर ......   पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ......
नाम ......   (प्रतिवादी पक्ष) नाम ......

...वादी ...... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी ......
...द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ...अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

...कुमार शर्मा
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

सतीश कुमार शर्मा
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी